web copy

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,चूरु
पीठासीन अधिकारी राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 2018/00074 दायर दिनांकः 16.07.2018

गाँधी विद्या मंदिर सरदारशहर जरिये सचिव गाँधी विद्या मंदिर, सरदारशहर जिला चूरू (राज0)

—अपीलांट—

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू (राज0)
2. ओमवीर चौधरी, प्रोजेक्ट मैनेजर, रिडकोर मेगा हाईवे, हनुमानगढ़ से किशनगढ़ हाल निवासी सरदारशहर जिला चूरू (राज0)

—रेस्पोडेंट्स—

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर दिनांक 11.01.2018 मु.नं. 182/17 अनुवानी प्रोजेक्ट मैनेजर बनाम् प्रभारी गाँधी विद्या मंदिर अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थितः— 1. श्री प्रताप सिंह बीदावत एडवोकेट वास्ते अपीलांट।
2. श्री अर्जुनसिंह राठौड़ एडवोकेट, वास्ते रेस्पोडेंट सं. 02

निर्णय

दिनांकः 23.08.2018

यह अपील न्यायालय, जिला कलक्टर चुरु से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दिनांक 16.07.2018 को दर्ज ऑनलाईन की गई। अपीलांट की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है—

1. निर्णय जेर अपील पारित करने से पूर्व तहसीलदार सरदारशहर ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर कानूनी तौर पर कोई विवेचन नहीं किया है। इस कारण निर्णय विधिसम्मत नहीं है। जेर बहस अपील के प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलांट की विध्यानुसार तामिल नहीं करवाई है। तामिल के नोटिस पर किसी मदन लाल के हस्ताक्षर करवाये गये हैं, जो ना तो गाँधी विद्या मंदिर सरदारशहर का सचिव है, ना ही प्रभारी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की विध्यानुसार तामिल नहीं होने से तथा अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं होने से एकतरफा, विधिविरूद्ध मनमाना निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
2. रेस्पोडेंट सं. 01 ता 02 ने मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति का अवलोकन नहीं किया है। तहसीलदार सरदारशहर द्वारा कोई जांच रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई गई है। समस्त कार्यवाही एकतरफा की गई है।
3. अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। वर्ष 1952 से भूमि गाँधी विद्या मंदिर सरदारशहर को कब्जा देकर अलॉट की गई है। अपीलांट अपने पक्ष में अलॉटेड भूमि पर ही काबिज व दाखिल चला रहा है। गाँधी विद्या मंदिर सरदारशहर की भूमि पर यानी 3208.09 बीघा भूमि पर अलॉटमेंट के मुताबिक ही काबिज व दाखिल है। जब भूमि अलॉट की गई थी, उस समय कोई मास्टर प्लान नहीं था, ना ही लोकमार्ग अवस्थित था।
4. अपील के दावा में अदालत मातहत ने दिल्ली सर्किल से मिस्त्री मार्केट सरदारशहर तक रतनगढ़ रोड़ पर अपीलार्थी द्वारा सड़क सीमा में 24×36 = 864 फीट को कच्चा पक्का निर्माण कर ख.नं. 76 में अतिक्रमण करना बताकर जेर बहस अपील का निर्णय पारित किया है, जबकि अदालत मातहत ने आक्षेपित निर्णय में उस जगह का लोकेशन कहीं भी दर्शित नहीं किया है, कि अपीलांट ने किस जगह से किस जगह तक कच्चा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। यहां पर स्पष्ट किया जाता है कि अपीलांट की अलॉटेड भूमि में सड़क दोनों तरफ अपनी मिलकियती की भूमि पर अपनी दीवारों का निर्माण वर्षों पूर्व से किया हुआ है, ऐसी स्थिति में अपीलांट का किसी भी प्रकार से जब कोई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

web copy

अतिक्रमण ही नहीं है। तो अपीलांट के विरूद्ध जेर बहस अपील का निर्णय पारित किया जाना विधिविरूद्ध, मनमाना, एकतरफा है।

5. मातहत अदालतवाला ने ख.नं. 76 पर पारित किया है, जबकि निर्णय पारित करते समय वास्तविक नक्शा के अवलोकन के मुताबिक जेर बहस अपील का विवादित ख.नं. 76 न होकर ख.नं. 109 है। इस महत्वपूर्ण आधार पर भी जेर बहस अपील का निर्णय कायम रहने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है।
6. पर्यावरण चौक से डेयरी नवोदय विद्यालय तक का वर्तमान ख.नं. 235/501 है, पर्यावरण चौक से वन विभाग तक का वर्तमान ख.नं. 109 है। जेर बहस अपील के निर्णय में दर्शित दिल्ली सर्किल से मिस्त्री मार्केट सरदारशहर तक रतनगढ़ रोड़ का ख.नं. यही 109 है। पर्यावरण चौक से झणकार होटल व आगे तक का ख.नं. 229 है। तारानगर रोड़ का वर्तमान ख.नं. 174 है। उपर्युक्त विवेचन के मुताबिक जेर बहस अपील में पारित किये गये निर्णय का ख.नं. 76 किसी भी प्रकार से वास्तविक भैतिक स्थिति के रूप में कायम नहीं होता है।
7. अपीलांट के पक्ष में सन् 1950–51 में 3208.09 बीघा भूमि का अलॉटमेंट राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया, तभी से लेकर आज तक अपनी मिलकियती की भूमि पर अपीलांट काबिज व दाखिल चला आ रहा है। जेर बहस अपील के दावा के निर्णय में रेस्पोडेंट ने जिस सिविल रिट पीटिशन सं. 1554/2004 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का हवाला देते हुए, आक्षेपित निर्णय पारित किया है, वह निर्णय राजस्थान अरबन इन्प्रूवमेंट एक्ट 1959 के तहत पारित किया गया है। उक्त रिट का निर्णय जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर व अजमेर में जारी हुए मास्टर प्लान के तहत पारित किया गया है। उक्त निर्णय जेर बहस अपील के निर्णय पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है, क्योंकि जेर बहस अपील के निर्णय को अदालत मातहत ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91, 95(7) के तहत पारित किया है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी मालिक के खिलाफ उसकी मिलकियती की जमीन पर उसको अतिक्रमी किसी भी रूप में कायम नहीं किया जा सकता।
8. निर्णय दिनांक 20.01.2018 अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया है, जिसकी कोई सूचना अपीलांअ को नहीं हुई। इसलिए अपीलांट निर्णय की दिनांक 30 दिवस में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका।
9. अपील स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सरदारशहर के द्वारा पत्रावली सं0 182/17 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2018 को अपास्त किया जावे।

रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 02 की ओर से अधिवक्ता अर्जुनसिंह ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेंट सं. 01 की ओर से कोई हाजिर नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर से पत्रावली सं. 182/2017 उनवानी प्रोजेक्ट मैनेजर बनाम् प्रभारी गांधी विद्या मंदिर तलब की गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील अंदरमियाद समायोजन करने हेतु प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है। यह अपील तहसीलदार सरदारशहर के आदेश दिनांक 11.01.2018 का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 22.06.2018 को होने पर नकल आदि व नोटिस आदि प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अंदरमियाद समायोजित की जावे। रेस्पो0 सं. 02 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कहा कि अपील देरी से पेश की गई है। जो मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। रेस्पो0 अधिवक्ता ने दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र का खंडन लिखित में नहीं किया है तथा अपील देरी से पेश करने बाबत् दिन–प्रतिदिन का पूर्णरूप से अंकन नहीं किया है। इसलिए मियाद अंदरमियाद समायोजित की जाकर सुनवाई की जाती है।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं. 182/17 में अप्रार्थी प्रभारी गाँधी विद्या मंदिर सरदारशहर को विधिवत नोटिस देकर तामिल नहीं करवाया गया। गांधी विद्या मंदिर का कहना है कि उनके कार्यालय में मदनलाल नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। मदनलाल ने किस हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं स्पष्ट नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
चूरू

web copy

यह प्रकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित मामला है। गांधी विद्या मंदिर संस्थान का यह भी कहना है कि विवादित जमीन उन्हें सरकार द्वारा 1950–51 में आवंटित की गई थी। उसी अनुसार गांधी विद्या मंदिर संस्थान काबिज है तथा गांधी विद्या मंदिर सरदारशहर को आवंटन की हद तक बाउन्ड्री–वॉल वर्षों पूर्व बनी हुई है। गांधी विद्या मंदिर सरदारशहर द्वारा लोक मार्ग की भूमि पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है। अपील अंदरमियाद होने बाबत् दिन–प्रतिदिन का कारण का उल्लेख अपील मेमो में किया हुआ है। तहसीलदार सरदारशहर ने सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। न्यायालय का निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे किसी पक्षकार को पीड़ा न हो। अतः यह प्रक्रम तहसीलदार सरदारशहर को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए रिमांड किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस व तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश करते हुए ध्यान दिलाया (1) 2010(1) C.C.C. 157 (para 6-14) (2) 2014(1) C.C.C. 487 (Para 14, 22&26) (3) 2015(4) C.C.C. 452 (Para 12,14,17, 23) (4) 2016(4) C.C.C. 812 (Para 7,9) (5) 2015(1) Apex Court Judgement (S.C.) 619 (Para 4&5) (6) सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 05 नियम 16, 17 व 18। उक्त सभी न्यायिक दृष्टांत अपीलांट के तथ्यों के पक्ष एवं समर्थन में सटीक लागू होते हैं।

रेस्पोडेंट सं. 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर द्वारा आवंटन भूमि से अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। तहसीलदार सरदारशहर द्वारा गांधी विद्या मंदिर को सुनवाई का अवसर दिया गया था। तहसील सरदारशहर का निर्णय दिनांक 11.01.2018 विधि अनुसार सही दिया गया है। तहसीलदार सरदारशहर द्वारा अपीलांट–अप्रार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश नगरपालिका सरदारशहर को दिया गया है। अप्रार्थी से अतिक्रमण के कसूर में शास्ति राशि 50/–रु. आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए अपील–अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं तर्कों पर मनन किया गया। अपील पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर की पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी–अपीलांट गांधी विद्या मंदिर सरदारशहर पर विधिवत रूप से नोटिस तामिल नहीं हुआ है। अप्रार्थी–अपीलांट को सुने बिना निर्णय दिनांक 11.01.2018 को पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट–अप्रार्थी को बिना सुने व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना तहसीलदार सरदारशहर ने निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य होने के कारण तहसीलदार सरदारशहर को प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाना उचित है।

उपर्युक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपील–अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सरदारशहर का निर्णय दिनांक 11.01.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सरदारशहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए साक्ष्य सबूत लिये जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
चूरू